B.A PART- 1 POL. SCIENCE (HONOURS)
PAPER- 1st
TOPIC - EQUALITY - MEANING AND TYPE.
LECTURE BY:- KUMARI MADHURI
ASST. PROFESSOR (GT)

समानता
EQUALITY

समानता जिसका अर्थ है समान होने की अवस्था, ~~Aequ~~ Aequalis से ली गई है, जिसका अर्थ है निष्पक्ष। यह समान अधिकार, विशेषाधिकार, उपचार, स्थिति और अवसर होने का प्रतीक है जो समानता को बतलाता है। समानता को ऐसी चीज के रूप में माना जाता है जो वितरण सिद्धांत से संबंधित है जिसके कारण अधिकार, उपचार और अवसर लाभार्थियों के बीच उचित तरीके से वितरित किए जाते हैं। निष्पक्षता का मतलब सभी को सभी परिस्थितियों में समान रूप से माना जाना नहीं है। वास्तव में यह बहुत अच्छी तरह से उन लोगों के लिए असमान उपचार का मतलब है जो असमान हैं। अनिवार्य रूप से यह न्याय के सिद्धांत से संबंधित है क्योंकि इसके लिए निष्पक्ष वितरण सिद्धांत की आवश्यकता होती है।

"अरस्तु के अनुसार" दासता स्वाभाविक तथा वांछनीय है क्योंकि इससे स्वामी व दास पारस्परिक रूप से लाभान्वित होते हैं। 16 वीं सदी में पुनर्जागरण के विचारों तथा बौद्धिकता के प्रसार से समानता को बल मिला। ला

"लास्की के अनुसार" राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समानता से कठिन कोई दूसरी अवधारणा नहीं है।

आधुनिक विश्व में संविदावादियों ने प्राकृतिक अधिकार के आधार पर व्यक्तियों की समानता का समर्थन किया तथा इसकी समानता के कारण उन्होंने राज्य को सहमति की उत्पत्ति के रूप में देखा है।

Scanned with CamScanner

रूसो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपनी "डिस्कोर्सेज इन इक्वालिटी" में समानता पर विशेष विचार प्रकट किए हैं। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सम्पत्ति व परिवार के अभाव के कारण ना सिर्फ व्यक्ति समान थे बल्कि स्वतंत्र भी। कालान्तर में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण असमानता की स्थापना हुई तथा मनुष्य वर्गों में विभक्त हो गया।
रूसो के विचार मार्क्स से मिलते हैं परंतु रूसो ने समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर बल दिया है जबकि मार्क्स ने राज्य को ही असमानता का जिम्मेदार माना है इसलिए उन्होंने राज्य विहीन व्यवस्था को ही समानता की पूर्ण शर्त माना है। रूसो ने दो प्रकार की समानता को महत्व दिया है।

(i) प्राकृतिक
(ii) पारम्परिक

रूसो के अनुसार मद्र पशु होने के कारण व्यक्तियों को प्रकृति में समानता प्राप्त है जबकि सम्पत्ति के विकास से जिस असमानता की स्थापना हुई है वह पारंपरिक असमानता है।
रूसो के अनुसार मनुष्य तो जन्म से स्वतंत्र है पर वह सभी जगह बंधनों से बंधा है।

बार्कर के अनुसार, समानता की अवधारणा का अर्थ है -

-> सभी की मौलिक समानता।
-> अवसर की समानता।
-> जीवन की स्थितियों को समान बनाने का प्रयास करने वाली स्थितियों की समानता।
-> परिणामों के परिणाम की समानता।

इस प्रकार बार्कर कहते हैं कि
" यह व्यक्तित्व के विकास के सर्वोच्च मूल्य से व्युत्पन्न है, प्रत्येक में समान और समान रूप से लेकिन प्रत्येक अपनी अलग रेखा और अपनी अलग गति के साथ "।

समानता के प्रकार

Types of Equality

समानता के निम्नलिखित प्रकार हैं—

1) वैधिक या कानूनी समानता

कानूनी समानता का अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हो और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था 'विधि का शासन' कानूनी समानता की स्थिति को प्राप्त करने की ही व्यवस्था है। कानूनी समानता निम्न प्रकार की हो सकती है।—

(a) **कानून के समक्ष समानता :-** इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून बनाएगा और इन कानूनों को एक समान लागू करेगा। राज्य जन्म, वंश, लिंग, धर्म, जाति अमीर-गरीब या ऊँच-नीच के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

(b) **कानून का समान संरक्षण :-** कानून के समक्ष समानता कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसके साथ ही कानूनी समानता का एक सकारात्मक पक्ष भी है, जिसका अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। राज्य कानूनों के माध्यम से अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है तथा शिक्षा स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएँ प्रदान करता है उनके संबंध में राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा।

Scanned with CamScanner

(c) **कर्तव्यों के प्रसंग में समानता :-**

कानूनी समानता की अधिकारों के साथ सभी व्यक्तियों के कर्तव्य भी एक समान होंगे। जन्म, वंश, धर्म या संपत्ति आदि के आधार पर न तो किसी को विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी और न उनके कर्तव्य ही अलग-अलग माने जाएंगे।

(d) **करों के निर्धारण में समानता :-**

करों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि करों का बोझ सभी के ऊपर डाला जाए। इस प्रसंग में कर देने की क्षमता के आधार पर भेद किया जा सकता है।

(e) **विवेकसंगत आधार पर भेदभाव मान्य :-**

कानूनी समानता का विचार राज्य द्वारा मनमाने आधार पर किए जानेवाले भेदभाव का ही निषेध करता है। विवेकसंगत आधार पर यदि किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है तो समानता के सिद्धांत का निषेध नहीं करता, बशर्ते कि उस स्थिति में उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हो।

2. राजनीतिक समानता

राजनीतिक समानता से हमारा तात्पर्य राजनीतिक अधिकार के मार्ग पर सभी की समान पहुंच से है। सभी नागरिकों के पास समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। सरकार के काम करने में उनकी समान आवाज होनी चाहिए और उन्हें देश के राजनीतिक जीवन और मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के समान अवसर होने चाहिए। राजनीतिक समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित समानताएं आती हैं —

(a) **मतदान का अधिकार :-**

इसके अंतर्गत सभी धर्म, जाति, सम्पत्ति, शिक्षा एवं लिंग के आधार पर किसी भेद-भाव

के बिना सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अवयस्क व्यक्तियों, पागल, दिवालिये या संविधान द्वारा मान्य अन्य किसी आधार पर अवश्य ही किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है।

(b) चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार :-

नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का समान अधिकार होना चाहिए। परंतु वैसे व्यक्ति जो किन्हीं अयोग्यताओं से ग्रसित हो उसे व्यक्ति को संविधान में अयोग्य उम्मीदवार घोषित किया गया है।

(c) प्रार्थना-पत्र का अधिकार :-

नागरिकों को प्रार्थना-पत्र देने और इस माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुँचाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए।

(d) राजकीय नियुक्तियाँ तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार :-

राजकीय नियुक्तियाँ तथा राजकीय सम्मान करने के लिए सभी को समान रूप से अधिकार होना चाहिए। केवल शिक्षा, सेवा या किसी विशेष योग्यता के आधार पर इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है।

(e) विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार :-

अनु० 19 के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किया गया है।

3. सामाजिक समानता

सामाजिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक समाज में समान दर्जा पाने का हकदार है और कोई भी विशेषाधिकारों का हकदार नहीं है। जाति और पंथ, रंग और नस्ल, समूहों और वर्गों, कुलों और जनजातियों का कोई भेद नहीं होना चाहिए। सभी को अपने व्यक्तित्व को विकसित

S.B.College

Scanned with CamScanner

करने का समान अवसर होना चाहिए।

भारत में सभी नागरिक सामाजिक समानता को प्राप्त करते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके अभ्यास को मना किया गया है। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव की नीति को अपनाया गया था। लेकिन USA के पूर्व राष्ट्रपति जॉनसन ने कांग्रेस द्वारा विधेयक पारित कर सामाजिक समानता स्थापित की।

नस्लीय भेदभाव की नीति अभी भी दक्षिण अफ्रीका द्वारा पीछा की जाती है। सामाजिक असमानता अभी भी वहाँ व्याप्त है। 10 Dec 1948 को UNO ने मानव अधिकारों के चार्टर की घोषणा की जिसमें सामाजिक समानता पर जोर दिया। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अतीत में कुछ देशों द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में सामाजिक समानता के अधिकार की विशेष व्यवस्था की गई है और संविधान के अनु० 17 में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सामाजिक समानता की माँग है कि समाज में सती प्रथा और कन्या हत्या जैसी अमानवीय स्थितियों को दूर करना ही है।

सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्यतया ये बातें आती हैं :-

(i) वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या अन्य किसी को हेय न समझा जाए।

(ii) स्त्रियों को पुरुष से कम अधिकार न दिए जाएँ। सामाजिक समानता की माँग है कि स्त्रियों को पुरुष के समान सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में भी प्राप्त होनी चाहिए।

(iii) सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य-मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। सामाजिक समागम का अर्थ - विवाह सम्बन्धों व खान-पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव।

4. आर्थिक समानता

आर्थिक समानता का आशय यह नहीं है कि व्यक्तियों को समान वेतन मिले या सभी व्यक्ति बराबर-बराबर भौतिक साधनों का उपयोग करें। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर पाना कभी संभव नहीं हो सकता और ना ही यह उचित होगा। आर्थिक समानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा सम्पत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएँ नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समानता के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं:—

(i) सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्राप्त न हो जाएँ तब तक किन्हीं व्यक्तियों को विलासिता के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

(ii) सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए।

(iii) बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंगभंग की स्थिति में व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

(iv) पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

(v) सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके।

(vi) राष्ट्र की सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों का शोषण न कर सकें।

आर्थिक समानता के लक्ष्य को ठोस कार्यों के आधार पर ही प्राप्त कर पाना संभव है।

END Kumari madhuri

S.R.S.S. College

Scanned with CamScanner